

समाचार प्रकाशनार्थ रु.

22 नवम्बर को 86 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 22 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर घर से पृथक पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले सूखे कचरे व सड़कों व नाले नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टैंचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 22 नवम्बर सोमवार को 86 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टैंचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

22 नवम्बर सोमवार को डम्पर से 28245ए टैंकटर से 11765ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 26530 व काम्पेक्टर गीला कचरा 19520 किलो इस तरह कुल 86060 किलो कचरा जुलवानिया टैंचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

मुख्य मार्ग से अतिक्रमण सामग्री जब्त की

रतलाम 22 नवम्बर । षहर के मुख्य मार्ग ए फुटपाथ आदि पर गुमटियां ए ठेले ए अन्य सामग्री रखकर अतिक्रमण करने वालों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार 22 नवम्बर सोमवार को अतिक्रमण दल ने कार्यवाही करते हुए मित्र निवास रोड ए लोकेन्द्र भवन रोड ए डाट की पुल रोड ए पावर हाउस रोड के फुटपाथ से पानी पतासे वाले ए फुल वाले ए कपड़े वाले चाय की दुकान आदि को हटवाया गया व एडव्हरटाईजिंग बोर्ड सहित अन्य सामग्री जब्त की गई।

4600 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

वार्डवार केन्द्रों व घर घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 22 नवम्बर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षा इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषन ए राश्ट्रीय विधवा पेंषन ए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषन ए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषन ए विधवा पेंषन ए निःषक्त पेंषन ए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है

जिसके तहत 22 नवम्बर सोमवार तक 4600 पेंषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 46 प्रतिष्ठत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राषन कार्ड ए समग्र आईडी ए बैंक खाते की पास बुक ए निवासी ए जन्म ए आयु ए चिकित्सक ए निःष्कतता ए आयकर दाता ना हो ए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र ए अंक सूची ए मतदाता सूची ए मतदाता परिचय पत्र ए महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गंरटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड ए उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगर ए वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा ए वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मषाला ए वार्ड 4 महर्शी दयानन्द वैदिक विद्यालय ए वार्ड 5 गुरु रामदास स्कूल विनोबा नगर ए वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर ए वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल ए वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर ए वार्ड 9 सार्व ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोड ए वार्ड 10 सिंधी गुरुद्वारा मोहन नगर ए वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगर ए वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगर ए वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर ए वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगर ए वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाश नगर ए वार्ड 16 काष्यप सभागृह सागोद रोड ए वार्ड 17 उत्कृश्ट स्कूल सागोद रोड ए वार्ड 18 षांति निकेतन टाटा नगर ए वार्ड 19 राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगर ए वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागर ए वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वास ए वार्ड 22 मानस भवन मोती नगर ए वार्ड 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बाजाली नगर ए वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतरा ए वार्ड 25 सगरवंशी माली समाज धर्मषाला ए वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजार ए वार्ड 27 जमातखाना षेरानीपुरा ए वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगर ए वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनी ए वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोड ए वार्ड 31 षासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांव ए वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेषन रोड ए वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोड ए वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोड ए वार्ड 35 मेंहदीकुई बालाजी नगर निगम ए वार्ड 36 कान्वेंट स्कूल मित्र निवास रोड ए वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी ए वार्ड 38 जमातखाना षेरानीपुरा ए वार्ड 39 षासकीय प्राथमिक स्कूल षेरानीपुरा ए वार्ड 40 श्रीमाली धर्मषाला ए वार्ड 41 मोहन टॉकिज ए वार्ड 42 माहेष्वरी धर्मषाला कसारा बाजार ए वार्ड 43 गणेष मांगलिक भवन रामबाग ए वार्ड 44

बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखलए वार्ड 45 पासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक चौकए वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगरए वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोडए वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनीए वार्ड 49 सिखवाल धर्मषाला ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवध्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

नगर निगम द्वारा अब तक 7564 आयुश्मान कार्ड बनाये गये निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुश्मान कार्ड

रतलाम 22 नवम्बर । आयुश्मान भारत श्शनिरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःषुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे हैं जिसके तहत 1 अक्टूबर से 22 नवम्बर तक 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुश्मान भारत श्शनिरामयम’ ’ योजना के तहत नगर के षेश रहे पात्र हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड नगर निगम के विकास षाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं। नगर निगम विकास षाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7564 आयुश्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुश्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के षेश रहे हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड निःषुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

2223 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 68 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 22 नवम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धि विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूँजी हेतु 2136 हितग्राहियों को राष्ट्रीय रूपये 10ए0000₹ तथा द्वितीय कार्यषील पूँजी हेतु 87 हितग्राहियों को राष्ट्रीय रूपये 20ए0000₹ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 68 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवध्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्ड ए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाइल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राष्ट्रीय होगी वसूल

रतलाम 22 नवम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड ए सागोद रोड ए महू रोड ए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राष्ट्रीय वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राष्ट्रीय वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 22 नवम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक.एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाषक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 22 नवम्बर। कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों दुकानदारों व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 नवम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक

कचरा संग्रहण करना सुनिष्ठित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिष्ठत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषाँप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिष्ठत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है ए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारधज्ञसंघियहेमन्तृ११२०२१नपाणिगमए रतलाम